

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्य प्रदेश

‘कचनार’ ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : bhopal@emptownplan.gov.in

क्रमांक-बी.पी.एल.एल.पी.-1614/एल.पी.34/29(3)/नगानि/जिका/2012

भोपाल, दिनांक-02.11.2015

प्रति,

आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी,
कालोनी सेल, एकल खिड़की प्रणाली,
नगर पालिक निगम, भोपाल ।

विषय :-

ग्राम कटारा तहसील हूजूर, जिला भोपाल खसरा क्रमांक-97/1,97/2,97/3 कुल रकबा 0.710 हेक्टेयर (7100.00 वर्गमीटर) पर बहु इकाई आवासीय विकास हेतु मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम 1998 के अंतर्गत विकास अनुमति ।

परियोजना का नाम :- ‘सेचुरियन स्काय’

सन्दर्भ :-

1. आवेदक मेसर्स असनानी बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर श्री बिशनलाल असनानी पत्र श्री एच. असनानी, पता-एफ. एम.-1, ब्लॉक-1, मानसरोवर काम्पलेक्स, हबीबगंज, भोपाल का आवेदन दिनांक 14.7.2015 इस कार्यालय का पूर्व अनुमोदन क्रमांक 758 दिनांक-21.4.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में ग्राम कटारा तहसील हूजूर, जिला भोपाल खसरा क्रमांक-97/1,97/2,97/3 कुल रकबा 0.710 हेक्टेयर (7100.00 वर्गमीटर) जिसका भूमि उपयोग भोपाल विकास योजना 2005 में आवासीय निर्दिष्ट है, पर इस कार्यालय द्वारा पूर्व अनुमोदन क्रमांक-758 दिनांक-24.1.2013 द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) सहपठित मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 27 (1) के अंतर्गत विकास अनुज्ञा मेसर्स असनानी बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर श्री बिशनलाल असनानी पत्र श्री एच. असनानी, पता-एफ. एम.-1, ब्लॉक-1, मानसरोवर काम्पलेक्स, हबीबगंज, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों में उक्त प्रदत्त अनुज्ञा में उपांतरण हेतु पूर्व में ग्राम पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित इस स्थल जिसे मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 20.9.2014 द्वारा नगर पालिक भोपाल के सीमा क्षेत्र में शामिल किया गया उपांतरण अधिनियम की धारा 29 (3) अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तावेदन के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 14 (3) के अंतर्गत दिनांक 19.8.2015 को दो समाचार पत्रों में निर्धारित प्रारूप में सूचना का प्रकाशन किया गया सूचना में उल्लेखित कालावधि में कोई आक्षेप सुझाव या दावा प्राप्त नहीं हुआ तथा परीक्षणोंपरांत बहु इकाई आवासीय विकास हेतु भोपाल विकास योजना, 2005 एवं मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 30 (1) (ख) एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम एवं 27(1) के प्रावधानों अनुसार प्रस्तावित उपांतरण हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के आधार पर प्रदान की जा रही है :-

- (1) भवन का भू-तल निर्मित क्षेत्र 30 प्रतिशत अधिकतम मान्य होगा ।
- (2) भवन में संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार एम. ओ. एस. रखे जावें ।

Signature valid

Digitally signed by Amit Kumar
Gajbhiye
Date: 2015.11.02 17:02:04 IST

- सामने से 9.0 मीटर, अन्य ओर 6.00/6.00 मीटर प्रत्येक ओर, पीछे 6.00 मीटर.
एफ. ए. आर. 1: 1.25(एक अनुपात एक दशमलव दो पॉच) अधिकतम तथा भवन की अधिकतम उँचाई मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होगा (अधिकतम 24.0 मीटर + पोडियम + बेसमेंट पार्किंग)।
- (3) पार्किंग :- बहु इकाई आवास : एक कार प्रति प्रति 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की दर से 109 कार की आवश्यकता होगी । 9 कार खुले क्षेत्र में 25.0 वर्गमीटर /प्रति कार के मान से 46 कार पोडियम क्षेत्र में 30.00 वर्गमीटर/प्रतिकार के मान से, 54 कार बेसमेंट में 35.00 वर्गमीटर/प्रतिकार के मान से प्रावधान करना होगा ।
 - (4) प्रस्तावित अभिन्यास में सामान्य श्रेणी की कुल 144 आवासीय इकाईयाँ प्रस्तावित किये गये हैं एवं प्रस्तावित अभिन्यास में कमजोर आय वर्ग के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1998 के नियम 10(2) के अनुसार मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 19.4.2012 में उल्लेखित प्रावधानानुसार ई. डब्ल्यू. एस. हेतु 25 वर्गमीटर के 13 आवासीय इकाईयाँ एवं एल. आई. जी हेतु 36 वर्गमीटर के 9 आवासीय इकाईयाँ का प्रावधान किया गया है । कृपया कालोनाइजर नियम 1998 के परिप्रेक्ष्य में इस बाबत परीक्षण कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई करने का कष्ट करें । इसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उपरांत ही नियमानुसार विकास अनुमति प्रदान की जाये ।
 - (5) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 21 के परिप्रेक्ष्य में आवेदन हेतु आवेदन शुल्क रुपये 5,000 चालान क्रमांक-19 दिनांक 29.9.2015 तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 (5) के प्रावधानों अनुसार विकास अनुज्ञा शुल्क देय नहीं है ।
 - (6) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजधानी तहसील हजूर, जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक-302/बी-121/2013-14 दिनांक-22.5.2014 द्वारा जारी अनापत्ति की समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।
 - (7) भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल के पत्र क्रमांक-905/02/मु.वि./भोविप्रा/14 भोपाल, दिनांक-1.9.2015 द्वारा दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
 - (8) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग/रूप वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी । उसके पश्चात ही भूखण्ड पर विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा दिया जा सकेगा ।
 - (9) पूर्व स्वीकृत अनुमोदन क्रमांक-758-764/एल.पी.034/29/नग्रानि/जिका/2012 भोपाल, दिनांक-12.04.2013 द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा का मानचित्र स्वमेव निरस्त मान्य होगा ।
 - (10) इस कार्यालय द्वारा किये गये स्थल पर चिन्हांकन दिनांक 29.1.2013 अनुसार बाहरी माप रखना होंगे ।
 - (11) भोपाल विकास योजना 2005 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के समस्त प्रावधानों एवं विकास मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जावे ।
 - (12) प्रस्तावित अभिन्यास के मध्य से भोपाल विकास योजना 2005 के 18.0 मीटर एवं 12.0 मीटर चौड़े मार्ग की भूमि को मार्ग हेतु सुरक्षित रखना होगा ।
 - (13) विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है उनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओव्हर हेड टैंक, गारबेज डिस्पोजल एवं कालोनी का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जावे ।
 - (14) सीवेज/ठोस अपशिष्ट को ट्रीटमेंट हेतु निर्धारित क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा । तत्पश्चात उसको उपचारात्मक तरीके से कालोनी के बगीचे इत्यादि में उपयोग किया जावे । बगैर शोधित किये सीवेज का निकास पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।

Signature valid

Digitally signed by Amit Kumar
Gajbhiye
Date: 2015.11.02 17:02:04 IST

- (15) आवेदक संस्था द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्रश्नाधीन अभिन्यास के आधार पर परियोजना का नाम "सेंचुरियन स्काय" रहेगा एवं बगैर लिखित स्वीकृति के इनमें कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा ।

पूर्व में जारी पत्र क्रमांक-758-764/एल.पी.034/29/नग्रानि/जिका/2012 भोपाल, दिनांक-12.04.2013 द्वारा जारी अभिन्यास अनुमोदन पत्र में उल्लेखित निम्न शर्तें यथावत रहेंगी :-

निम्न लिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-

1. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959
 2. लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग ।
 3. भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
 4. भू अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल
 5. नजूल अधिकारी, राजधानी परियोजना, भोपाल
 6. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल.
 7. राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग से लगी भूमि के विकास की स्थिति में).
 8. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह अनिवार्य रूप से प्राप्त करें ।
1. इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उप विभाजन मान्य नहीं होगा ।
 2. परिसर से जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा ।
 3. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम, 61 टिप्पण-1 के अनुरूप भूखण्ड के किसी भाग का स्वामित्व सार्वजनिक प्रयोजन के लिए शासन/प्राधिकारी को सौंपता है और उसमें निहित करता है । सौंपे गये भूखण्ड/भूमि के क्षेत्र के दोगुने के गणना कर अतिरिक्त तल क्षेत्र उसके आर्थिक प्रतिकर के स्थान में भूखण्डों/भूमि के शेष भाग में अनुज्ञात किया जा सकेगा ।
 4. संस्था/आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी की होगी ।
 5. प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जाये एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे ।
 6. भोपाल विकास योजना, 2005 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लेखित बहु इकाई आवासीय विकास हेतु निर्धारित समस्त मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करना होगा ।
 7. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये । इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा । स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा ।
 8. अनुमोदित मानचित्र की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा ।
 9. यह अनुज्ञा अहस्तांतरणीय होगी तथा अनुज्ञप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे ।

Signature valid

Digitally signed by Amit Kumar
Gajbhiye
Date: 2015.11.02 17:02:04 IST

10. संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध न किया जावे इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
11. स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50 x 1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।
12. यह अनुमति आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भू-स्वामी अथवा मुख्तार आम जो उसका वैधानिक कर्ताधर्ता है। साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जावेगा जैसा कि अनुमति है व जैसा कि अनुमति की उल्लेखित शर्तों में उल्लेख है।
13. जल-मल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जावे।
14. निर्माणकर्ता को यह बाध्यता होगी कि वह समुचित पेयजल व्यवस्था, जल मल निकासी, पार्किंग स्थलों का विकास, हरित क्षेत्रों का विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि विकास कार्यों को सम्पूर्ण करने के पश्चात ही भवन का उपयोग प्रारंभ करें।
15. इस अनुज्ञा को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे तथा किसी भी प्रकार की भूमि विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
16. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42(3) के अनुरूप नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-4 में दी गई अनुशंसा के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था कर अग्नि प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन संबंधी उपायों की नियमानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के उपरांत ही दखलकारी अनुज्ञा पत्र जारी किया जाये।
17. भवन और उसके चारों ओर के खुले स्थानों को जाने वाला पहुँच मार्ग 6 मीटर चौड़ा होगा और उसका अभिन्यास सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार शहर के अग्निशमन प्राधिकारी के परामर्श से प्रस्तावित किया जाएगा और उसकी सतह आवश्यकतानुरूप सख्त होगी जो 18 टन के दमकल (फायर इंजिन) का भार सहन करने योग्य हो उक्त खुली जगह बाधाओं से मुक्त रखी जाएगी और व मोटर के आने-जाने योग्य होना आवश्यक होगी।
18. दमकल (फायर इंजिन) तक सुगम पहुँच अनुज्ञात करने के लिए भू खण्ड के मुख्य प्रवेश की चौड़ाई पर्याप्त होगी और जो किसी भी स्थिति में 4.5 मीटर से कम न हो। प्रवेश द्वार फाटक भीतर की ओर की अहाता दीवार के सामने इस प्रकार खुलने चाहिए जिसमें अग्निशमन सेवा यानों के संचालन के लिए भूखण्ड में बाहरी पहुँच मार्ग निर्बाध हो यदि मुख्य प्रवेश द्वारा अहाता दीवार पर बनाया जाता है तो उसकी न्यूनतम खुलने वाली जगह 4.5 मीटर रखना होगी।
19. स्थल पर वर्तमान में विद्यमान विद्युत लाईन के नीचे के विकास/निर्माण कार्य स्वीकार्य नहीं होगा लाईनों को स्थानांतरित किये जाने के पश्चात ही आवेदक संस्था द्वारा विकास कार्य शुरू किया जावे
20. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।
21. मध्य प्रदेश खनिज(अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में हुए संशोधन के नियम का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
22. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 25 के तहत रिवोक की जा सकेगी।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्य प्रदेश

Signature valid

Digitally signed by Amit Kumar
Gajbhiye
Date: 2015.11.02 17:02:04 IST

पू.कमांक-बी.पी.एल.एल.पी.-1614/एल.पी.34/29(3)/नग्रानि/जिका/2012
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक-02.11.2015

1. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल. इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेब साइट www.emptownplan.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है ।
2. वरिष्ठ उप पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक,भोपाल की ओर कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु । इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेब साइट www.emptownplan.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है ।
3. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार,तहसील हूजूर (संबंधित वृत्त), जिला भोपाल की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का ले-आउट स्वीकृत हो गया है" की टीप अंकित किये जाने बाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है । इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेब साइट www.emptownplan.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है ।
4. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेब साइट www.emptownplan.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है ।
5. सर्वेक्षक,नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल । इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेब साइट www.emptownplan.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है ।
6. आवेदक मेसर्स असनानी बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर श्री बिशनलाल असनानी पत्र श्री एच. असनानी, पता-एफ. एम.-1, ब्लॉक-1, मानसरोवर काम्पलेक्स, हबीबगंज, भोपाल को सूचनार्थ एवं प्रश्नाधीन भूमि पर समस्त अनुज्ञाओं की प्रति इस कार्यालय को जारी होने के 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से उपलब्ध करावे तथा समस्त शर्तों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें । इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेब साइट www.emptownplan.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है ।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन,मध्यप्रदेश

Signature valid

Digitally signed by Amit Kumar
Gajbhiye

Date: 2015.11.02 17:02:04 IST

LAYOUT PLAN OF MULTI-UNIT RESIDENTIAL DEVELOPMENT, ON KHASRA NO (NEW)-97/1, 97/2, 97/3, AT VILLAGE KATARA, TEHSIL HUZUR, DIST. BHOPAL.

BELONGING TO: ASHANI BUILDERS & DEVELOPERS LTD.

PROJECT NAME:

CENTURION SKY

COLONIZER

CENTURION BUILDERS PVT. LTD.

TOTAL LAND AREA (0.71 HECT)

(AS PER FORM-P-II)

AREA UNDER ROAD (a)

NET AREA (a) = 1610.04 SQ.M

NET AREA (a) = 5489.96 SQ.M

STATEMENT OF AREA

NET PLANNING AREA 100%

OPEN AREA INC. SERVICES 11.30%

AREA UNDER OPEN PARKING 6.28%

AREA UNDER RESIDENTIAL USE INC. (EWS) 8.30%

MAXIMUM PERMISSIBLE F.A.R. 1:1.25

MAXIMUM PERMISSIBLE HEIGHT 24.00 M

M.O.S. (MIN) F=900 M

R=600 M

S=600 M

CALCULATION OF INFORMAL SECTOR

TOTAL NO. OF PLOTS = 1448 (A)

NO. OF PLOTS RESERVED FOR INFORMAL SECTOR

L.I.C. & E.W.S. REQUIRED (15% of A) 21.72 (B)

E.W.S. (60% of B) 13.03 (C)

L.I.C. (40% of B) 8.69 (D)

PARKING CALCULATION	
NET AREA OF LAND	= 5489.96 SQ.M
F.A.R. (1:1.25)	= 6862.45 SQ.M
ADDITIONAL F.A.R.	(a) = 4025.10 SQ.M
OF ROAD AREA = 1910.34 X 1.25 X 2	(b) = 4862.45 + 4025.10 SQ.M
TOTAL BU AREA (a) + (b)	= 10887.55 SQ.M
LECS/100 SQ.M OF BU A	= 108.87
NO. OF CARS	= 108.80 CARS
DAY	
8 CARS @ 25 = 225.00 SQ.M AREA IN OPEN PARKING	
OPEN PARKING PROVIDED	328.500 SQ.M
	(1) 8.12 SAV
	(2) 8.00 CARS
PPOOL AREA	= 1383.00 SQ.M
TECS/200 SQ.M	= 48.10 SAV
	(2) 48.00 CARS
BASEMENT AREA	= 1800.00 SQ.M
TECS/300 SQ.M	= 53.83 CARS
	(3) 54.00 CARS
TOTAL (1+2+3)	= 109 CARS

S.NO	Khasra NO.	AREA IN HECT	OWNER
1	97 / 1	0.07 H.	M/S ASHANI BLDRS. & DEV. LTD. THROUGH PARTNER BISHANLAL ASHANI S/O H.R. ASHANI
2	97 / 2	0.47 H.	M/S ASHANI BLDRS. & DEV. LTD. THROUGH PARTNER BISHANLAL ASHANI S/O H.R. ASHANI
2	97 / 3	0.17 H.	M/S ASHANI BLDRS. & DEV. LTD. THROUGH PARTNER BISHANLAL ASHANI S/O H.R. ASHANI
TOTAL		0.71 H.	



D/S. NO.

Depth: 1:500

Scale: 1:500

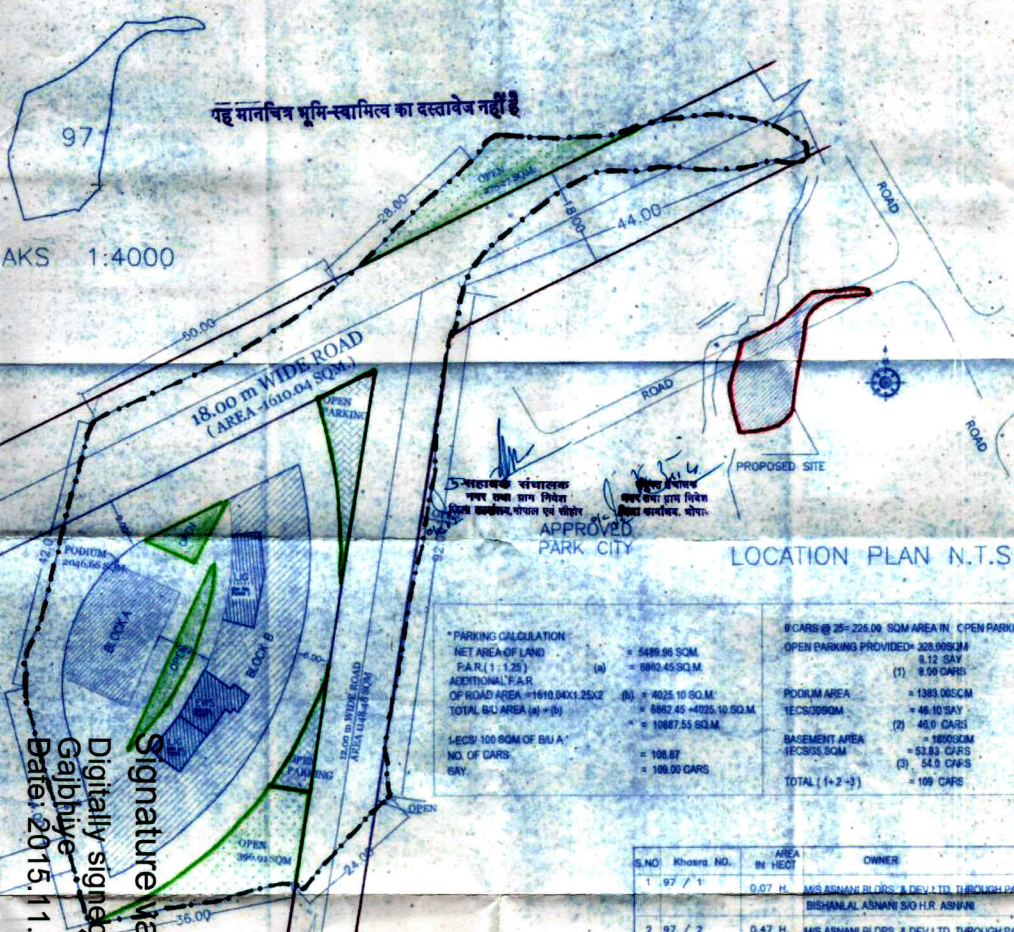
DATE: 12-3-13

OWNER:

ARCHITECT:

ARADHANA MOHILE ARCHITECT
MPL, LIC No. A-32
COUNCIL OF ARCHITECTURE
LIC. No. A/2001/7885
TAPC, LIC. No. A/13/2002/2013/2013
INTERARCH, E-18, BHAKAR NAGAR, BHOPAL

(VIKRAM & ARADHANA MOHILE)



Digitally signed by Nit Kumar Galbhye
Date: 2015.11.02 17:02:57 IST

वर्तमान भूस्वामित्वकर्ता के द्वारा इसका अधिष्ठापन किया गया है। इसका अधिष्ठापन करने वाले व्यक्ति का नाम श्री. वि. क. मोहिले है।
1. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
2. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
3. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
4. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
5. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
6. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
7. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
8. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
9. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
10. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
11. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
12. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
13. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
14. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
15. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
16. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
17. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
18. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
19. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
20. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।

1. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
2. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
3. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
4. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
5. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
6. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
7. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
8. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
9. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
10. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
11. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
12. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
13. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
14. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
15. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
16. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
17. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
18. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
19. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।
20. यह योजना भू-स्वामित्वकर्ता के द्वारा तैयार की गई है।